संख्या–वे0आ0–2–697 / दस–2014–8(मु0स0स0) / 2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2014

**विषयः** मुख्य सचिव समिति द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव समिति द्वारा लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया :––

**(i)** वेतन समिति (2008) की लैब टेक्नीशियन संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये सुविचारित निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन के पदों पर वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराने का औचित्य नहीं है। अतः लैब टेक्नीशियन के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– को यथावत् बनाये रखा जाय।

**(ii)** वेतन समिति (1997–99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर फार्मासिस्ट संवर्ग के चीफ फार्मासिस्ट के समान वेतनमान रू0 5500–9000 अनुमन्य कराया गया। वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चीफ फार्मासिस्ट के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया गया है। अतः लैब टेक्नीशियन संवर्ग के सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर तत्काल प्रभाव से अर्थात् इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया जाय।

**(iii)** लैब टेक्नीशियन संवर्ग में उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के 2402 पदों में से 200 पदों को वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद में उच्चीकृत किया जाय। इस प्रकार लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन की संख्या 2202 तथा वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के संख्या–384 हो जायेगी। उक्त व्यवस्था इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग

L.T. - Maleria -Optomatrics

की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–697 (1)/दस–2014–8(मु0स0स0)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

2– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

L.T. - Maleria -Optomatrics